



## जेपीसी सूचना सेवा : अंशदान विवरण (1 जून 2015 से प्रभावी )

### 1. सांख्यिकीय रिपोर्ट का अंशदान

जेपीसी द्वारा प्रकाशित विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों, उनके प्रकाशन की आवृत्ति, अस्थायी प्रकाशन अनुसूची एवं उनके अंशदान की दरें निम्नलिखित रूप से दर्शायी गई हैं

सांख्यिकीय रिपोर्ट	आवृत्ति	माह की अस्थायी प्रकाशन अनुसूची	रु. में अंशदान		विदेशों में वार्षिक अंशदान (यूएसडी में)
			वार्षिक	एकल	
निर्यात रिपोर्ट	मासिक	10 <sup>th</sup> – 12 <sup>th</sup>	30,000	3,000	1,000
आयात रिपोर्ट	मासिक	10 <sup>th</sup> – 12 <sup>th</sup>	30,000	3,000	1,000
भू-लागत रिपोर्ट	मासिक	20 <sup>th</sup> -25 <sup>th</sup>	20,000	2,000	1,000
जेपीसी बाजार मूल्य (खुदरा) रिपोर्ट	पाक्षिक	5 <sup>th</sup> एवं 20 <sup>th</sup>	40,000	4,000	2,000

### 2. विश्लेषक रिपोर्टों एवं प्रकाशनों का अंशदान :

जेपीसी द्वारा प्रकाशित विभिन्न विश्लेषक रिपोर्टों और प्रकाशनों, उनके प्रकाशन की आवृत्ति, अस्थायी प्रकाशन अनुसूची एवं उनके अंशदान की दरें निम्नलिखित रूप से दर्शायी गई हैं

उत्पाद	प्रकाशन की आवृत्ति	अस्थायी प्रकाशन अनुसूची	रु. अंशदान		विदेशों में वार्षिक अंशदान (यूएसडी में)
			वार्षिक	एकल	
एमआईएस रिपोर्ट	मासिक	माह की 20 <sup>th</sup> -21 <sup>st</sup>	55,000	5,500	5,000
कार्यनिष्पादन रिपोर्ट	मासिक	माह की 30 <sup>th</sup> / 31 <sup>st</sup>	35,000	4000	1,000
जेपीसी बुलेटिन	मासिक	माह की 10 <sup>th</sup>	4,000	500	2,000
कार्यनिष्पादन समीक्षा	वार्षिक	सितम्बर	5,000	-	500
वार्षिक आँकड़े	वार्षिक	जुलाई	15,000	-	2,000
सर्वेक्षण रिपोर्ट	वार्षिक	विशिष्ट मामला	10,000	-	1,000



### 3. अंशदान पैकेज

एकल आधार पर विभिन्न रिपोर्टों एवं प्रकाशनों को खरीदने के बदले ग्राहक अंशदान पैकेज का लाभ उठा सकते हैं, जो कि किफायती दरों पर उत्पादों के पैकेज की डिलिवरी सुनिश्चित करता है। ऑफर किये गये विभिन्न अंशदान पैकेजों का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य - श्रेणी	प्रमुख	मूल
	₹. 1,50,000	₹. 55,000
वार्षिक अंशदार दर	यूएसडी 6,000	यूएसडी 2,500
पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जेपीसी बाजार मूल्य(खुदरा)</li> <li>• एमआईएस रिपोर्ट</li> <li>• कार्यनिष्पादन रिपोर्ट</li> <li>• जेपीसी बुलेटिन</li> <li>• कार्यनिष्पादन समीक्षा</li> <li>• वार्षिक ऑकड़े</li> <li>• सर्वेक्षण रिपोर्ट</li> <li>• निर्यात रिपोर्ट</li> <li>• आयात रिपोर्ट</li> <li>• भू-लागत</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कार्यनिष्पादन रिपोर्ट</li> <li>• जेपीसी बुलेटिन</li> <li>• वार्षिक ऑकड़े</li> </ul>

अधिक जानकारी के लिए हमसे यहाँ सम्पर्क करें :

ज्वाइंट प्लान्ट कमिटी

इस्पात निकेतन, 52/1, बालीगंज सर्कुलर रोड, कोलकाता – 700019, भारत

टेली: +91-033-24614055; फैक्स+91-033-24614063

ईमेल: [jpc.kolkata@gmail.com](mailto:jpc.kolkata@gmail.com); वेबसाइट: [www.jpcindiansteel.nic.in](http://www.jpcindiansteel.nic.in)



## विस्तार प्रणाली पर द्रष्टव्य

### A. विस्तार पद्धति - सांख्यिकीय रिपोर्ट :

समस्त सांख्यिकीय रिपोर्टों को सिर्फ जेपीसी की वेबसाइट [www.jpcindiansteel.nic.in](http://www.jpcindiansteel.nic.in), पर विस्तारित किया जाता है, एक "यूजर-आईडी और पारसवर्ड" प्रणाली के जरिये, जिसे जेपीसी की सूचना सेवा के समस्त पुष्टिकृत अंशदाताओं को जेपीसी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके कवरेज में शामिल है :

1. निर्यात रिपोर्ट
2. आयात रिपोर्ट
3. भू-लागत रिपोर्ट
4. जेपीसी बाजार मूल्य (खुदरा) रिपोर्ट
5. एमआईएस रिपोर्ट
6. कार्यनिष्पादन रिपोर्ट

### B. विस्तार पद्धति - प्रकाशन

निम्नलिखित प्रकाशनों के लिए विस्तार प्रकाशित और/या सॉफ्ट प्रति/सीडी, जो भी संभव हो, मिश्रण के जरिये किया जाता है। तथापि, शीघ्र और अबाध सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से जहाँ कहीं संभव है जोर ई-सेवाओं पर दिया जायेगा तथा इस संबंध में प्रणाली की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी

1. जेपीसी बुलेटिन
2. कार्यनिष्पादन समीक्षा
3. वार्षिक आँकड़े
4. सर्वेक्षण रिपोर्ट

### C. विस्तार पद्धति - सामान्य नियम :

1. पैकेज अथवा अन्यथा का विकल्प चुनने वाले अंशदाताओं से अनुरोध है कि वे जेपीसी सूचना सेवाओं के उनके अंशदान से जुड़े सभी मामलों के लिए सम्पर्क के एक प्वाइंट (रिसोर्स व्यक्ति) को नामांकित करें
2. नामांकित रिसोर्स व्यक्ति को जेपीसी द्वारा एक यूजर-आईडी और पासवर्ड आवंटित किया जाएगा, ताकि वह जेपीसी की वेबसाइट [www.jpcindiansteel.nic.in](http://www.jpcindiansteel.nic.in) से अपने पैकेज की पात्रता प्राप्त कर सकें ।



3. रिपोर्टों की प्रकाशित प्रतियाँ, जहाँ कहीं लागू हैं, जेपीसी द्वारा सिर्फ नामांकित रिसोर्स व्यक्ति को ही संबोधित की जाएँगी। किसी अन्य विकल्प पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
  4. संस्थाओं से अनुरोध है कि वे इसप्रकार के नामांकनों में परिवर्तन होने पर जेपीसी के पास अद्यतन करवा दें और कोई अन्य परिवर्तन से पात्रता की समय पर प्राप्ति प्रभावित होती है (उदाहरण के लिए पते में परिवर्तन)। यदि ऐसा है, तो हमारे पास उक्त परिवर्तन को तुरंत करवा लें।
-